राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़
विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302 005.

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि / का. एवं प्रशा. / प.2(3)137 / प्रे. 703 जयपुर, **दिनांक :** 25-1-01

आदेश

अधिमानता के आधार पर श्रीमती चन्द्रकान्ता उर्फ सुशीला पत्नी स्व. श्री चमन लाल वर्मा, जन्म तिथि 06.07.1979 (अनुसूचित जाति) को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर, नीचे दर्शाई गई शर्तों व नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर, निदेशक (वित्त), रा.रा.वि.उ.नि.लि., जयपुर के अधीन आगामी पदस्थापना हेतु रखा जाता है।

परिवीक्षाकाल के दौरान निगम के आदेश क्रमांक राराविउनि / का.एवं प्र. / प. / प्रे. 541 दिनांक 01.10.2008 द्वारा निर्धारित मासिक नियत पारिश्रमिक 5300/– रूपये देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षाकाल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हो, देय नहीं होगें। इसी प्रकार जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोड़कर गणवेश भी देय नहीं होगी। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर वेतन श्रृंखला 4750–7440 + ग्रेड पे 1650 देय होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा सेवाकाल में वृद्वि नियुक्त व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही की जायेगी।
2. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को प्राधिकृत चिकित्सक, जो जिला चिकित्सा अधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना है। जिस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होगा एवं कार्य पर उपस्थित हो जावेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की पूर्ति (प्रतिपूर्ति) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जावेगी।
3. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण–पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी :–

क. रूपये 100/–के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र, प्रपत्र–अ एवं जमानती के बतौर किसी केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी अथवा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारी से प्रपत्र–ब के अनुसार बॉण्ड/बाध्य पत्र।

ख. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।
दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र

Hindi Letters

ग. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सम्मिलित)/ शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण–पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

घ. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

ड़. शपथ–पत्र – दिवगंत कर्मचारी का कोई भी आश्रित (पत्नि/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तकपुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है। मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।

च. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन पोषण करेगा एवं उनका उचित ढंग से ध्यान रखेगा।

छ. यदि उपरोक्त आश्रितों में कोई विवाहित हैं तो उन्हें सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह शर्त विधवाओं पर लागू नहीं होगी।

4. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

5. यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।

6. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।

7. i नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है।
   ii प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।
   iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव) देय होगा।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षाकाल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।

9. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।

10. नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

12. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण–पत्र लिया जावेगा कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृति लाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवाये।

13. पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं होने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

14. यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा है/रही है या उनका उचित ढग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियुक्ती अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।।

आदेशानुसार,

25/10/2011

(आलोक शर्मा)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा.)

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (तकनीकी/परियोजना/वित्त), राराविउनि, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (जी.एल.टी.पी.पी.), राराविउनि, बाड़मेर ।
3. जन सम्पर्क अधिकारी (उत्पादन), राराविउनि, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), राराविप्रनि, जयपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी (संथापन/रोकड़), राराविउनि, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि वर्णित व्यक्ति का रिक्त पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करे। इसके साथ अभ्यार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है। कृपया इस अभ्यार्थी के चरित्र की जांच पुलिस से (पुलिस एन्टीसीडेन्टस) अपने स्तर पर करवा ले।
6. श्रीमती चद्रकान्ता उर्फ सुशीला, पत्नी स्वः श्री चगन लाल वर्मा, मुकाम पोस्ट, जमवा रामगढ़ (मोहल्ला खटीकान), तहसील जमवा रामगढ़, जिला जयपुर (राज.)।
7. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली

25/10/2011

कार्मिक अधिकारी (संस्थापन–द्वितीय)

Hindi Letters

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302 005.

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि / का. एवं प्रशा. / प.2(3)145 / प्रे.253 जयपुर, दिनांक : 5-11-2011

आदेश

अभिशंषा के आधार पर श्रीमती इन्दुबाला पत्नी स्व. श्री आत्माराम, जन्म तिथि 06.06.1980 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर, नीचे दर्शाई गई शर्तों व नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर, मुख्य अभियन्ता (एस.टी.पी.एस)., रा.रा.वि.उ.नि.लि., सूरतगढ़ के अधीन आगामी पदस्थापना हेतु रखा जाता है।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षाकाल के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक 6100 / – रूपये देय होगा। परिवीक्षाकाल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगें। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर वेतन श्रृंखला 5200–20200+ ग्रेड पे 1900 / – देय होगा।

नियम एवं शर्तें :–

1. नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा सेवाकाल में वृद्धि नियुक्त व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही की जावेगी।

2. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को प्राधिकृत चिकित्सक, जो जिला चिकित्सा अधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना है। जिस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होगा एवं कार्य पर उपस्थित हो जायेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की पूर्ति (प्रतिभूति) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जावेगी।

3. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी :–

क. रूपये 100 / –के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड / बाध्य पत्र, प्रपत्र–अ एवं जमानती के बतौर किसी केन्द्र / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी अथवा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारी से प्रपत्र–ब के अनुसार बॉण्ड / बाध्य पत्र।

ख. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।

ग. दो उत्तरदायी व्यक्तियों / राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र।

घ. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सम्मिलित) / शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण–पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

ड. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

च. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन पोषण करेगा एवं उनका उचित ढंग से ध्यान रखेगा।

4. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

5. यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।

6. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।

7. i नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात मे आकस्मिक अवकाश देय है।

ii प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।

iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव) देय होगा।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षाकाल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।

9. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती हैं। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नही होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।

10. नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

12. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण–पत्र लिया जावेगा कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृति लाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

13. पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं होने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

14. यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियुक्ती अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

आदेशानुसार,

9/11/2011

(आलोक शर्मा)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (तकनीकी/परियोजना/वित्त), राराविउनि, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (एस.टी.पी.एस.), राराविउनि, सूरतगढ को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि वर्णित व्यक्ति का रिक्त पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करे। इसके साथ अभ्यार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है। कृपया इस अभ्यार्थी के चरित्र की जांच पुलिस से (पुलिस एन्टीसीडेन्टस) अपने स्तर पर करवा ले।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (एस.टी.पी.एस.), राराविउनि, सूरतगढ ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी (उत्पादन), राराविउनि, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), राराविप्रनि, जयपुर।
6. श्रीमती इन्दुबाला पत्नि स्व. श्री आत्माराम, निवासी ग्राम 9 एन.डी. (सतराना), तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
7. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली

9/11/2011

कार्मिक अधिकारी (संस्थापन-द्वितीय)